



# CITIZEN CHARTER

OF

## National Institute of Plant Health Management (NIPHM)

Department of Agriculture & Farmers Welfare  
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare  
Government of India

Telephone : 9140-24015374  
e-mail : [niphm@nic.in](mailto:niphm@nic.in)  
Tele-Fax : 9140-24015346

Rajendra Nagar  
Hyderabad – 500 030  
<http://niphm.gov.in>

# **Citizen's Charter of NIPHM**

## **1. What is NIPHM**

1.1 Central Plant Protection Training Institute (CPPTI) was established in 1966, and later renamed as National Plant Protection Training Institute (NPPTI), for Human Resource Development in Plant Protection Technology. The Institute was identified as a Regional Training Centre for Plant Protection by the FAO of the United Nations and as a Centre of Excellence for Training in Plant Protection Technology under the World Bank aided NAEP- III. NPPTI was converted into an autonomous body viz. National Institute of Plant Health Management (NIPHM) in the year 2008 to meet the emerging training needs in environmentally sustainable plant health management with focus on bio security management, and function as policy support centre.

1.2 Human resource development, both in public and private sector, covering areas, inter-alia, of plant protection technology, plant quarantine and bio-security, crop oriented Integrated Pest Management approaches, quality testing of pesticides, and analysis of pesticide residues for monitoring the quality status of pesticides.

1.3 Develop systematic linkages between state, regional, national and international institutions of outstanding accomplishments in the field of Plant Protection Technology.

1.4 Function as Nodal Agency/Forum for exchange of latest information on plant protection technology.

1.5 Collect and collate information on plant protection technology for dissemination among the state extension functionaries and farmers.

1.6 Gain overall insight into Plant Protection Systems and Policies together with operational problems and constraints at each step and stage.

1.7 Identify, appreciate and develop modern management tools/techniques in problem-solving approaches and utilizing the mechanism of personnel management, resource management, input management and finally conflict management at the organization level.

1.8 Develop need-based field programmes for training and re-training of senior and middle level functionaries for executing plant protection programmes and using training of trainer approaches to ensure maximum reach of programmes.

1.9 Provide feedback to training programmes, conduct programme-oriented research in the area of Plant Protection, Integrated Pest Management, Pesticide Management, Plant Quarantine and Pesticide delivery systems and residues.

1.10 Serve as repository of ideas and develop communication and documentation services at national, regional and international level, in regard to the subject of plant protection management.

1.11 Forge linkages with national and international institutions, and create networks of knowledge sharing, through a programme of institutional collaboration and employment of consultants.

1.12 Provide policy support to the Central Government in various sectors of plant protection including IPM, pesticide management, plant quarantine, bio-security, SPS and market access issues.


## **2. *Vision***

The vision of NIPHM is to emerge as an internationally acclaimed Centre of Excellence for promoting environmentally sustainable Plant Health Management practices in diverse and changing agro-climatic conditions and to provide Policy Support with focus on Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS) issues and emerging Bio-security Challenges.

## **3. *Mission***

The mission is to play a crucial role in enhancing agricultural production addressing the emerging challenges in the field of Plant Health Management by assisting the Government of India, the States, and other stake holders through the core role of Teaching, Training, Research, Certification & Accreditation, and Policy Support on SPS issues and Bio-security challenges within national and international contexts.

#### 4. Activities:



In order to carry forward the activities as per its Mission the Institute has four major technical divisions

- a) Plant Health Management Division
- b) Plant Biosecurity Division
- c) Pesticides Management Division
- d) Plant Health Engineering Division.

NIPHM also specializes in Vertebrate Pest Management. Each of the Divisions is headed by a Director and assisted by scientific personnel and supported by Administration Section headed by a Registrar.

As part of its mandate the different activities of the Institute are:

- I. Educational programmes
- II. Capacity building programmes
- III. Training programmes for officials of DPPQ&S
- IV. Research, Consultancy and Policy support

## 5. Main Services:

Sl. No.	Service	Clientele	Standards	Fees
1	<b>Training</b> (A) Post Graduate Diploma in Plant Health Management	Fresh agricultural graduates as well as in-service personnel in the field of Plant Health Management	Curriculum and Schedule approved by Academic Committee comprising of experts in the field and subsequently approved by Executive Council & General Council of NIPHM. Periodical reviews as well as feedback based evaluation for programmes to enable regular upgradation as per requirements of the clientele incorporating advances in the field.	Rs. 75,000/- for fresh graduates + Boarding / lodging & Rs.2,00,000/- for employees of Pvt. Organizations
	Diploma Courses in Plant Health Management	Graduates in Agriculture/Horticulture/Life Sciences/Agricultural Engineering/Agriculture & Rural Development / Commercial Agriculture & Business management, etc.		Rs.40,000 + Boarding & Lodging charges
	(B) Short term Training Programmes in the areas of Plant Health Management, Plant Bio-security, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Plant Health Engineering.	Central & State Governments, SAUs, ICAR institutions PSUs, Autonomous bodies, NGOs, Private sector & farmers.		No fees for regular programmes for permanent employed central & state governments & scientists of SAUs & ICAR institutes. For special programmes & others – ranges from Rs.1000 to 5000 per day as per programme.
	(C) Special Programmes on Plant Health Management, Plant Bio-security, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Plant Health Engineering.	Central & State Governments, Public Sectors, NGOs, and Farmers		No fees for regular programmes for permanent employed central & state governments & scientists of SAUs & ICAR institutes. For special programmes & others – ranges from Rs.1000 to 5000 per day as per programme.
2	<b>Research</b> In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest			Nil

	Management and Biosecurity.			
3	<b>Consultancy</b> In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest Management and Biosecurity.	Various Central & State Organizations including SAUs, Public & Private Sectors, FPOs etc.		As per terms & conditions
4	<b>Policy &amp; Support</b> In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Biosecurity.	Central & State Governments.		Nil

## 6. Service Standards

Sl. No.	Services/ Transactions	Service Standards	Success Indicators	Data Source
1	<b>Training</b> (A) Post Graduate Diploma & other Diploma Courses in Plant Health Management (B) Short term Training Programmes in the areas of Plant Health Management, Plant Bio-security, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Plant Health Engineering. (C) Special Programmes on Plant Health Management, Plant Bio-security, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Plant Health Engineering.	Curriculum and Schedule approved by Academic Committee of NIPHM comprising of experts in the field. Periodical reviews as well as feedback based evaluation for programmes to enable regular upgradation as per requirements of the clientele incorporating advances in the field	No. Of Training Programmes conducted and no. Of persons trained as indicated as per NIPHM records.	As per NIPHM records.

2	<b>Research</b> In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest Management and Biosecurity.	Publications, patents, etc.	Technology adaption by different stake holders	NIPHM Records
3	<b>Consultancy</b> In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Vertebrate Pest Management and Biosecurity.	As per TOR	As per TOR	Consultancy Report
4	<b>Policy &amp; Support</b> In the areas of Plant Health Management, Biocontrol, Plant Health Engineering, Pesticide Management, Vertebrate Pest Management and Biosecurity.	-	Acceptance of policy proposal by DA&FW	Government orders
5	<b>Sample Analysis</b> Analysis of Biopesticide samples for presence of Chemical Pesticides, Analysis of Pesticides Formulation samples, analysis of samples for presence of Pesticide Residues etc.	As per the provision of the Insecticide Act, 1968	As per TOR 30 days from receipt of samples at laboratory.	Analysis Report

### 7. Responsibility Centres:

Sl. No.	Responsibility Centre	Landline Number	Email	Address
1	Head of Organization (Director General)	040-24015346	dgniphm@nic.in	NIPHM, Rajendranagar, Hyderabad-500030
2	Plant Health Management Division	040-4015932	dirphmniphm-ap@nic.in	-do-
3	Pesticide Management Division	040-24010106	dirpmniphm-ap@nic.in	-do-
4	Plant Bio-security Division	040-24018788	dirpbdniphm-ap@nic.in	-do-
5	Administration(Registrar)	040 24013346	registrarniphm@nic.in	-do-
6	Plant Health Engineering	040-24015043	jdenggniphm-ap@nic.in	-do-
7	ICT Section	040-24002065	adict-niphmhyd@gov.in	-do-
8	Vertebrate Pest Management Section	040-24015053	adrpmniphm-ap@nic.in	-do-

### 8. List of Stake Holders:

Sl. No.	Stakeholders
1	Officers of Central & State Governments
2	Public Sectors
3	Krishi Vigyan Kendras, Private Sector (Industry)
4	Students of State Agricultural & Horticultural Universities
5	Scientists of ICAR, SAUs', Dept. Of Agriculture & Farmers Welfare, State Departments of Agriculture, Directorate of PPQ & S, other research organizations.
6	Farmers, Farmers Producer Organization (FPOs)

### 9. Grievance Redress:

S. No	Name of the Public Grievance Officer	Helpline	Email
1	Registrar	040 24013346	registrarnipm@nic.in



## 10. Indicative Services – The focus of NIPHM is to

1	Organize Training Programmes – in Sustainable Agriculture Practices, Crop specific Agro Ecosystem Analysis (AESA) based Plant Health Management (PHM) in conjunction with Ecological Engineering for Pest Management, On farm production of Biocontrol agents and Microbial Biopesticides, to promote AESA based PHM in conjunction with Ecological Engineering for Pest Management, Integrated Soil Nutrient and Weed Management, Safe & Judicious Use of Pesticides.
2	i) Promote adoption & popularization of Good Agricultural Practices, Farmers Field School Methodologies ii) Organize training programmes of shorter duration (3-5 days) for progressive farmers for promotion of bio intensive pest management strategies and for empowerment of farmers in decision making through experiential learning.
3	Develop and promote low cost farmer friendly products and technologies.
4	i) Build capacity in Bio security and Incursion Management, Pest Risk Analysis and Emergency Preparedness & Incursion Management in India and neighbourhood ii) Improve capacity for surveillance, storage pest detection, identification and management, creating SPS awareness, phytosanitary treatments, and Forced hot air treatment.
5	Organize International programmes on Pest Risk Analysis, Biosecurity & Incursion Management, Regional Plant Health System Analysis, Sanitary and Phytosanitary Awareness Workshops for officials of South Asian countries. Pesticide Registration & Inspection procedures, Plant Quarantine and Phytosanitary measures.
6	i) Organize training for Pesticide residue and formulation analysis, Laboratory Quality System Management and Internal Audit as per ISO/IEC 17025-2017 etc. ii) Organize training in sampling & Inspection of pesticides / biopesticides for Quality Control and Detection of spurious products. iii) Monitor pesticide residues in agricultural commodities at National Level. iv) Provide consultancy in NABL accreditation of PTLs of State Governments.
7	Organize exclusive Training Programmes for Officers of DPPQ&S, Induction Training Programme for new Recruits and Transferees of DPPQ&S, Refresher Training Programmes in Plant Biosecurity.
8	Organize induction training programmes for the newly recruited Officials of State Agriculture / Horticulture Departments of different State Governments.
9	Provide inputs for new policy initiatives of DA&FW in the areas of Plant Health Management, Biosecurity & Incursion Management, Pesticide Management and Plant Health Engineering.
10	Disseminate latest advancements among the agricultural students and Scientists of SAUs / ICAR, and among the Agricultural Extension Officers & in turn to farmers by the Master Trainers through training programmes / seminars/ workshops / exhibitions.
11	Conducts Proficiency Testing Programme in the field of Pesticide Formulation and Residue Analysis.

11. For any redressal contact Nodal Officer:

**Nodal Officer:** Registrar, National Institute of Plant Health Management, Rajendranagar, Hyderabad- 500 030. Phone No. 040 24013346; email: [registrarniphm@nic.in](mailto:registrarniphm@nic.in)



# नागरिक चार्टर

## *CITIZEN CHARTER*

राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान

*NATIONAL INSTITUTE OF PLANT HEALTH  
MANAGEMENT (NIPHM)*

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

भारत सरकार

दूरभाष : 9140-24015346, 24011633

ई-मेल : [niphm@nic.in](mailto:niphm@nic.in)

टेली-फैक्स : 9140-24015346

राजेन्द्रनगर,

हैदराबाद-500 030

<http://niphm.gov.in>

## रावस्वाप्रसं के नागरिक चार्टर (एनआईपीएचएम)

### 1. रावस्वाप्रसं क्या है ?

- 1.1 केंद्रीय पौध प्रशिक्षण संस्थान (सीपीपीटीआई) वर्ष 1966 में पौध संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय के तहत पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास हेतु स्थापित किया गया था। संस्थान का प्रमुख उद्देश्य ,राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के कृषि विभागों और केंद्र सरकार में सक्षम पीड़क प्रबंधन कर्मी तैयार करना था, जो कृषकों को कृषि-संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। विश्व बैंक द्वारा सहायता-प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना-III के अंतर्गत संस्थान को खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा क्षेत्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र और पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने हेतु उत्कृष्ट केंद्र के तौर पर मान्यता प्राप्त हुई। पर्यावरणीय सतत् वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की जरूरतों एवं जैवसुरक्षा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने सहित तथा केंद्रीय नीति सहयोग के तौर पर कार्यों को देखते हुए वर्ष नव पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थामें राष्ट्री 2008 (एनपीपीटीआई) को एक स्वायत्त निकाय के तौर पर मान्यता मिली एवं इस संस्थान का पुनर्नामकरण करते हुए राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान बना (एनआईपीएचएम)।
- 1.2 पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी, वनस्पति संगरोध एवं जैवसुरक्षा, फसल आधारित समेकित पीड़क प्रबंधन प्रणालियों और पीड़कनाशी गुणवत्ता परीक्षण तथा गुणवत्ता स्तर निगरानी हेतु पीड़कनाशी अवशेष विशलेषण आदि व अन्य संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों में मानव संसाधन का विकास करना।
- 1.3 वनस्पति संरक्षण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट प्रणालियों को राज्य संसय तथा अंतर्राष्ट्रीराष्ट्री ,क्षेत्रीय ,्थानों के बीच सुनियोजित सम्बंध विकसित करना।
- 1.4 पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी पर नवीनतम सूचना का आदान के रूप में कार्य करनासंगोष्ठी/प्रदान करने हेतु नोडल एजेंसी-।
- 1.5 पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी संबंधी सूचनाओं को एकत्रित और व्यवस्थित कर राज्य विस्तार कर्मियों और किसानों को जानकारी मुहैया करवाना।
- 1.6 पौध संरक्षण प्रणालियों तथा नीतियों के साथओं और अडचनों पर गहन क समस्याक चरण पर आनेवाली परिचालनात्मसाथ प्रत्ये-प्रकाशन डालना।
- 1.7 समस्याओं के तकनीकी समाधान हेतु आधुनिक प्रबंधन शैली व तकनीकी पहचानकन करनाउसका मूल्यां , और विकसित करना तथा उसका उपयोग कार्मिक प्रबंधनर पर असंगत प्रणाली को सुलझाए जाने हेतु क स्तआदान प्रबंधन एवं संगठनात्म ,प्रबंधन संसाधन , प्रबंधन करना।
- 1.8 वनस्पति संरक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार मध्यम तथा वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण तथा पुनप्रशिक्षण : क्रमों की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने के लिएकार्यक्रम आयोजित करना। कार्यःप्रशिक्षकों का प्रशिक्षणः तरीका अपनाना।
- 1.9 वनस्पति संरक्षणति संगरोध तथा पीड़कनाशी वितरण प्रणालियों व अववनस्प ,पीड़कनाशी प्रबंधन ,समेकित पीड़क प्रबंधन ,शेषों के क्षेत्र में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रतिपुष्टि आधारित अनुसंधान करना-प्रदान करना व कार्यक्रम (फीडबैक)।
- 1.10 वनस्पति संरक्षण प्रबंधन विषय के संदर्भ में सूचना र परय स्तय और अंतर्राष्ट्रीराष्ट्री ,विचारों के संग्रह के रूप में क्षेत्रीय ,संचार सेवाओं का विकास और प्रलेखीकरण करना।

1.11 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के मध्य सहलग्नता स्थापित करना और संस्थागत सहयोग एवं परामर्शदाताओं के माध्यम से साझेदारी व ज्ञान सृजन नेटवर्क बनाना ।

1.12 वनस्पति संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार के लिए समेकित पीड़क प्रबंधन ,(आईपीएम)पीड़कनाशी प्रबंधनति वनस्प , तथा विपणन अधिगम आदि मुद्दों पर नीति सहयोग व कार्य करना (एसपीएस) ताच्छता एवं पादप स्वच्छस्व ,सुरक्षा-जैव ,संगरोध ।

## 2. दृष्टि :

वनस्पति संरक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार के लिए समेकित पीड़क प्रबंधन ,(आईपीएम)पीड़कनाशी प्रबंधन तिवनस्प ,संगरोध-जैव , तथा विपणन अधिगम आदि मुद्दों पर नीति सहयोग व कार्य करना (एसपीएस) ताच्छता एवं पादप स्वच्छस्व ,सुरक्षा ।

## 3. मिशन :

शिक्षण- जैवन्नय संदर्भों में उत्पय और अंतर्राष्ट्रीएसपीएस मुद्दों पर नीति समर्थन तथा राष्ट्री ,तामान्य ,प्रमाणीकरण ,अनुसंधान ,प्रशिक्षण , ता करकी सहाय (रॉकहोल्डस्टे) हितधारकों और अन्यराज्यों , भूमिका द्वारा भारत सरकारसुरक्षा संबंधी चुनौतियों की मुख्यते हुए वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों को चिन्हित करने व कृषिपूर्ण भूमिका निभानाद बढ़ाने में एक महत्वउत्पा- ।

## 4. गतिविधियां :



संस्थान के मिशन के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित गतिविधियों के संचालन के लिए चार प्रमुख तकनीकी प्रभाग है -:

- वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान प्रभाग
- पादप जैवसुरक्षा प्रभाग
- पीड़कनाशी प्रबंधन प्रभाग
- वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

इसके अलावा, एनआईपीएचएम कशेरुकी पीड़क प्रबंधन में भी विशेषज्ञता प्राप्त है । प्रत्येक प्रभाग में निदेशक है एवं उनके संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु वैज्ञानिक कर्मियों द्वारा सहयोग की जाती हैं तथा प्रशासन अनुभाग के प्रमुख रजिस्ट्रार है ।

संस्थान के अपने विभिन्न अनिवार्य गतिविधियां हैं :

- I. शैक्षणिक कार्यक्रम
- II. क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- III. डीपीपीक्यू एवं एस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
- IV. अनुसंधान, परामर्शी एवं नीति सहयोग

**5. मुख्य सेवाएं :**

क्र.सं.	सेवा	कर्मि/अभ्यर्थी	मानक	शुल्क
1.	<b>प्रशिक्षण</b> <b>(क)</b> वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	नये कृषि स्नातक सहित वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत सेवाकर्मि	फील्ड विशेषज्ञों के विचार-विमर्श पर अकादमी समिति द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं अनुसूची एवं रावस्वाप्रसं के कार्यकारी परिषद् एवं	रु.75,000/- नए स्नातकों के लिए + भोजन/आवास एवं नीजी संगठनों के कर्मचारियों के लिए रु.2,00,000/-
	वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम	कृषि/बागवानी/जीव विज्ञान/कृषि अभियांत्रिकी/कृषि एवं ग्रामीण विकास / वाणिज्यिक कृषि एवं व्यवसाय प्रबंधन आदि में स्नातक	महापरिषद् द्वारा अनुवर्ती अनुमोदना विभिन्न कर्मियों द्वारा लिये गए फीडबैकों का मूल्यांकन कर एवं साथ ही सामयिक समीक्षा के आधार पर फील्ड के संबंधित कर्मियों के आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का निरंतर अपग्रेड करना।	रु. 40,000/- + भोजन/आवास शुल्क
	<b>(ख)</b> लघु अवधि वाले प्रशिक्षण : वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, पादप जैवसुरक्षा, पीड़कनाशी प्रबंधन, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, आईसीएआर संस्थानों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, गैर-सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों एवं किसानों		

	(ग) वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, पादप जैवसुरक्षा, पीड़कनाशी प्रबंधन, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी संबंधी विशेष कार्यक्रम	केंद्रीय एवं राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्रों, एनजीओ एवं किसान		नियमित कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों एवं राज्य सरकारों एवं आईसीएआर संस्थानों के स्थायी कर्मचारियों एवं वैज्ञानिकों के लिए निःशुल्क। विशेष एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए रु. 1000/- से 5000/- तक प्रतिदिन प्रत्येक कार्यक्रम के अनुसार
2.	अनुसंधान वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में			शून्य
3.	परामर्शी वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में	विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य संस्थानों सहित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों, एफपीओ आदि		निबंधन एवं शर्तों के अनुसार
4.	नीति एवं सहयोग वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पीड़कनाशी प्रबंधन, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में	केंद्र एवं राज्य सरकारों		शून्य

#### 6. मानक सेवाएं :

क्र.सं.	सेवाएं/लेन-देन	मानक सेवाएं	सफल संकेतक	आंकड़ा स्रोत
1.	प्रशिक्षण (क) स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन में अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम	फील्ड विशेषज्ञों के विचार-विमर्श आधार पर एनआईपीएचएम के अकादमी समिति द्वारा	एनआईपीएचएम रिकॉर्ड के अनुसार संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	एनआईपीएचएम रिकॉर्ड के अनुसार

	<p>(ख) लघु अवधि वाले प्रशिक्षण : वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, पादप जैवसुरक्षा, पीड़कनाशी प्रबंधन, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी</p> <p>(ग) वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, पादप जैवसुरक्षा, पीड़कनाशी प्रबंधन, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी</p>	<p>अनुमोदित पाठ्यक्रम एवं अनुसूची। विभिन्न कर्मियों द्वारा लिये गए फीडबैकों का मूल्यांकन कर एवं साथ ही सामयिक समीक्षा के आधार पर फील्ड के संबंधित कर्मियों के आवश्यकता अनुसार कार्यक्रमों का निरंतर अपग्रेड करना।</p>	<p>और प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या।</p>	
2.	<p><b>अनुसंधान</b> वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में</p>	<p>प्रकाशन, पेटेंट आदि</p>	<p>विभिन्न अंशधारकों द्वारा अपनायी गई प्रौद्योगिकी</p>	<p>एनआईपीएचएम अभिलेख</p>
3.	<p><b>परामर्शी</b> वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में</p>	<p>टीओआर के अनुसार</p>	<p>टीओआर के अनुसार</p>	<p>परामर्शी रिपोर्ट</p>
4.	<p><b>नीति एवं सहयोग</b> वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवनियंत्रण, वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पीड़कनाशी प्रबंधन, कशेरुकी पीड़क प्रबंधन एवं जैवसुरक्षा संबंधित क्षेत्रों में</p>		<p>कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत नीति प्रस्ताव</p>	<p>सरकारी आदेशानुसार</p>
5	<p><b>नमूना विश्लेषण</b> रासायनिक पीड़कनाशियों की उपस्थिति हेतु जैवपीड़कनाशियों का विश्लेषण, पीड़कनाशी सूत्रीकरण नमूनों का विश्लेषण, पीड़कनाशी अवशेष आदि की उपस्थिति हेतु नमूनों का विश्लेषण</p>	<p>कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधान के अनुसार</p>	<p>टीओआर के अनुसार प्रयोगशाला के नमूने प्राप्त होने के 30 दिन बाद</p>	<p>टीओआर के अनुसार</p>

#### 7. उत्तरदायी केंद्र :

क्र.सं.	उत्तरदायी केंद्र	टेलिफोन नं.	ई-मेल	पता
1.	संस्थान के प्रमुख (महा निदेशक)	040-24015346	dgniphm@nic.in	एनआईपीएचएम राजेन्द्रनगर,

				हैदराबाद-500 030
2.	वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन प्रभाग	040-24015932	dirphmniphmap@nic.in	-- वही --
3.	पीड़कनाशी प्रबंधन प्रभाग	040-24018788	dirpmniphmap@nic.in	-- वही --
4.	पादप जैवसुरक्षा प्रभाग	040-24013346	dirpbdniphmap@nic.in	-- वही --
5.	प्रशासन (रजिस्ट्रार)	040-24013346	registrarniphm@nic.in	-- वही --
6.	वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	040-24015043	jdenggniphmap@nic.in	-- वही --
7.	आईसीटी अनुभाग	040-24002065	adict-niphmhyd @gov.in	-- वही --
8.	कशेरुकी पीड़क प्रबंधन अनुभाग	040-24015053	adrpmniphmap@nic.in	-- वही --

### 8. अंशधारकों की सूची

क्र.सं.	अंशधारक
1.	केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों
2.	सार्वजनिक क्षेत्रों
3.	कृषि विज्ञान केंद्रों एवं निजी क्षेत्रों (उद्योग)
4.	राज्य कृषि एवं बागवानी विश्वविद्यालयों के छात्रों
5.	आईसीएआर, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, राज्य के कृषि/बागवानी विभागों, पीपीक्यू एवं एस निदेशालय एवं अन्य अनुसंधान संस्थानों
6.	किसान, किसान उत्पादक संगठन

### 9. शिकायत निवारण :

क्र.सं.	लोक शिकायत अधिकारी का नाम	हेल्पलाइन	ई-मेल
1.	रजिस्ट्रार	040 24013346	registrarniphm@nic.in

### 10. सांकेतिक सेवाएं - रावस्वाप्रसं : बिंदुओं पर केंद्रित करता है अपनी सेवाएं निम्न (एनआईपीएचएम)

1.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन : सतत कृषि अभ्यास, पीड़क प्रबंधन हेतु पारिस्थितिकीय अभियांत्रिकी के संयोजन से फसल विशिष्ट कृषि पारिस्थितिक विश्लेषण (ईईएसए) आधारित वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन (पीएचएम), पीड़क प्रबंधन हेतु पारिस्थितिकी अभियांत्रिकी के संयोजन के साथ ईईएसए आधारित पीएचएम को बढ़ावा देने के लिए जैवएजेंटों एवं माइक्रोबियल जैव पीड़कनाशियों का ऑन फॉर्म उत्पादन, एकीकृत मृदा पोषक तत्व एवं खरपतवार प्रबंधन एवं सुरक्षित एवं उचित तरीके से पीड़कनाशियों का इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम।
2.	i) उचित कृषि संबंधी अभ्यासों, कृषक खेत पाठशाला पद्धति ii) प्रगतिशील किसानों के लिए लघु अवधि (3-5 दिवसीय) की प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन या बायोइंटेन्सिव गहन पीड़क प्रबंधन रणनीतियों को बढ़ावा देना एवं प्रायोगिक शिक्षण के जरिए किसानों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना।
3.	किसान हितैषी कम कीमत वाली उत्पादों एवं प्रौद्योगिकी विकसित करना एवं बढ़ावा देना।
4.	i) भारत एवं पड़ोसी देशों में जैवसुरक्षा एवं आक्रमण प्रबंधन, पीड़क जोखिम विश्लेषण एवं आपात हेतु पूर्वतैयारी एवं आक्रमण प्रबंधन में क्षमता निर्माण करना। ii) निगरानी, संग्रह पीड़क जांच, पहचान एवं प्रबंधन, एसपीएस के जागरूकता, पादपस्वच्छता उपचार एवं फोर्सड हॉट एयर ट्रिटमेंट संबंधी कार्यक्रम में क्षमता सुधार।
5.	दक्षिण एशियाई देशों के अधिकारियों के लिए पीड़क जोखिम विश्लेषण, जैवसुरक्षा एवं आक्रमण प्रबंधन, क्षेत्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रणाली विश्लेषण, सफाई एवं पादपस्वच्छता से संबंधित जागरूकता कार्यशाला आदि अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करना।



6.	<p>i) पीड़कनाशी अवशेष एवं सूत्रीकरण विश्लेषण, प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रणाली प्रबंधन एवं आईएसओ/आईईसी 17025-2017 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा आदि संबंधी प्रशिक्षणों का आयोजन करना ।</p> <p>ii) कृत्रिम उत्पादों की गुणवत्ता, नियंत्रण एवं जांच के लिए पीड़कनाशियों/जैवपीड़कनाशियों के नमूने एवं निरीक्षण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ।</p> <p>iii) राष्ट्रीय स्तर पर कृषि सामग्रियों के पीड़कों की निगरानी ।</p> <p>iv) राज्य सरकारों के पीटीएल्लों के एनएबीएल प्रत्यायन में परामर्श प्रदान करना ।</p>
7.	डीपीपीक्यू एवं एस के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, डीपीपीक्यू एवं एस के नवनियुक्त कर्मियों एवं स्थानांतरियों के लिए प्रेरण कार्यक्रम एवं पादप जैवसुरक्षा में पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
8.	राज्य सरकारों के विभिन्न राज्य कृषि/बागवानी विभागों के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना ।
9.	वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन, जैवसुरक्षा एवं आक्रमण प्रबंधन, पीड़कनाशी प्रबंधन एवं वनस्पति स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा पहल की गई नई नीतियों के बारे में जानकारी मुहैया करवाना ।
10.	प्रशिक्षण कार्यक्रमों / सेमिनारों / कार्यशालाओं / प्रदर्शनियों के जरिए कुशल प्रशिक्षकों द्वारा कृषि छात्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों / आईसीएआर के वैज्ञानिकों, कृषि विस्तार अधिकारियों एवं किसानों में कृषि से संबंधित उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी मुहैया प्रदान करना ।
11.	पीड़कनाशी सूत्रीकरण एवं अवशेष विश्लेषण के क्षेत्र में दक्षता परीक्षण कार्यक्रम का संचालन करना ।

#### 11. शिकायत निवारण हेतु केंद्रक अधिकारी से संपर्क :

केंद्रक अधिकारी : रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद 24013346 240 040 .फोन नं .030 500-  
; ई : मेल-[registrarniphm@nic.in](mailto:registrarniphm@nic.in)